आदेश — पत्रा० आज पेश हुई। वकील प्रार्थी-प्रार्थिया
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible]
प्रार्थी के [illegible] तलब [illegible]
कार्यवाही व [illegible] हेतु [illegible] किया जाता है।
[illegible] प्रार्थना [illegible] किया जाकर [illegible]
[illegible] पत्रा० हो -
पत्रा० [illegible]
[illegible] पेश हो। sd/-

सहायक कलेक्टर
[illegible]

पत्रावली पेश हुई वकुलाम........ पीठासीन
अधिकारी.......................... पधारे है।
पत्रावली पुनःपुकार दिनांक..........
को पेश हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ पालामीचामी आई.ए.एस)

प्रकरण सं. 105/2016
जी.सी.एस.एम. नं. 2016/00105
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक ...30/12/22

1. सुमन पत्नि अंगूरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. वीरेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई भरतपुर (राज0)।
2. राघुवेन्द्र पुत्र रामजीत जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई भरतपुर (राज0)।
3. दिनेशसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई भरतपुर (राज0)।
4. लक्ष्मनसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई भरतपुर (राज0)।
5. राज. सरकार जरिसे तहसीलदार नदबई।
6. सब रजिस्ट्रार नदबई।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री सुरेशसिंह (प्रार्थी की और)

श्री अशोक कुमार (अप्रार्थी की और)

निर्णय

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

1. यह है उपरोक्त उनवान का दावा न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष पेश किया जा चुका है। जिसमें सफलता कि पूरी उम्मीद है।
2. यह है कि आराजी खसरा नं. 471 रकवा 0.46 है। 472 रकवा 0.50 है। किता 2 रकवा कुल 0.96 है वाके मौजा बछामदी तहसील नदबई में स्थित है जो सायला व गैरसायलान सं.1 ल0 4 की सम्मिलित खातेदारी का रकवा है। जिसमें सायला 1/6 हिस्से की व गैरसायल सं. 1, 1/6 हिस्से का व प्रतिवादी सं. 2, 1/6 हिस्से का वा प्रतिवादी सं. 3,4, 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है हाल जमाबन्दी संलग्न है।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

3. यह कि विवादित आराजी को सायला व गैरसायलान मौके पर मनबट के आधार पर बांट कर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन गैरसायलान के मन में बदयान्ती आ गई है तथा गैरसायलान आये दिन डौर मैंड को लेकर व लगान आदि को लेकर सायला से झगडा पिसाद करते है तथा सायला की डौर मैंड को तोडकर बर्बाद कर देते हैं ऐसी स्थिति में सायला विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का वाई मीट्स एण्ड वाउन्ड बटवारा करा पाने की अधिकारी है तथा अपने 1/6 हिस्से के करे की खातेदारी अपने नाम न्यारानूर दर्ज करा पाने की अधिकारी है।
4. यह कि गैरसायलान ने सायला को दिनांक 20.6.2016 को व मुकाम बछामदी पर खुलेआम धमकी दी के कि वह सायला को उसके हिस्से पर काश्त नहीं करने देंगे। व विवादित आराजी को बिक्रय करके रहेंगे। अगर गैरसायलान अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो सायला को एक अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से नहीं हो सकेगी। इसलिए सायला गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने की अधिकारी है कि वह आराजी वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी को ता फैसला वाद रहन, सहन , वय, पुन्तकिल नहीं करे व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।
5. यह कि प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन गैरसायलान के हक में न होकर सायला के हक में बखूबी साबित होता है।अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह आराजी पुतनाजा वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी को ता फैसला वाद रहन, वय, पुन्तकिल नहीं करें व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।
6. यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत दर्ज रजि0 किया जाकर गैरसायलान/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किये गये। गैरसायलान/ अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 6 की तलवी जरिये नोटिस कराई गयी। अप्रार्थीगणो की तलवी होने के वाबजूद भी न्यायालय हाजा उपस्थित नही हुऐ इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।
7. सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2069 से 2072 वाके ग्राम बछामदी पेश कि गई।
8. सायला के विद्वान अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि :–
9. <u>प्राईमाफेसी केस</u>– प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. के तहत् का पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंन्दी संवत 2069 से 2072 में अंकित खसरा नं. 471 रकवा 0.46 है। 472 रकवा 0.50 है। किता 2 रकवा कुल 0.96 है वाके मौजा बछामदी तहसील नदबई में स्थित है जो सायला व गैरसायलान सं.1 ल0 4 की सम्मिलित खातेदारी का रकवा है। जिसमें सायला 1/6 हिस्से की व गैरसायल सं. 1, 1/6 हिस्से का व प्रतिवादी सं. 2, 1/6 हिस्से का वा प्रतिवादी सं. 3,4, 1/2 हिस्से

सहायक कलक्टर

के खातेदार काश्तकार हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त विवादित आराजी पर मनवट अनुसार काबिज काश्त कि जा रही है। उक्त विवादित आराजीयात का अभी कानूनी रूप से विभाजन नही हुआ है जब तक आराजी का कानूनी रूप से विभाजन नही हो जाता है तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह खातेदार का प्रत्येक इंच पर अपना हक व हिस्सा निहित होता है। अतः विवादित आराजी का विभाजन ना हो जाये तब तक आराजी की यथास्थिति बनाऐ रखना हेतु गैरसायलान/अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना उचित है।

10. सुविधा का संतुलन :– प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में है।
11. अपूर्ण क्षति :– चूंकि सायला/प्रार्थी की सहखातेदारी कि आराजी है उक्त विवादित आराजीयात का खुर्द –बुर्द होती है तो अपूर्ण क्षति भी सायला को होगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जारी शुदा स्थगन आदेश दिनांक 29.06.2016 इस आशय के साथ कन्फर्म किया जाता है दावे के निस्तारण तक विवादित खसरा नं. 471 रकवा 0.46 है। 472 रकवा 0.50 है। किता 2 रकवा कुल 0.96 है वाके मौजा बछामदी तहसील नदबई में स्थित है पर अप्रार्थीगण आराजीयात का किसी प्रकार का बेचान व रहन ना करेने हेतु पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/12/22 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सिद्धार्थ पालानीचामी)
आइ.ए.एस
सहायक कलक्टर, नदबई